मध्य प्रदेश शासन
राजस्व विभाग मंत्रालय

क्रमांक : एफ 2-32/सात/शा. 6/2001 भोपाल, दिनांक 6.11.2001

1. समस्त संभागायुक्त
मध्यप्रदेश।

2. समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश।

विषय : वक्फ संपत्तियों का इन्द्रज राजस्व अभिलेख में करने बाबत्।

वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार वक्फ संपत्तियों के रख रखाव का प्रबंधन किया जाता है। अधिनियम की धारा-38 में वक्फ संपत्तियों के रख-रखाव के लिये वक्फ बोर्ड द्वारा एक्जीक्यूटिव आफिसर की नियुक्ति की व्यवस्था भी है।

2. कृपया आप अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को निर्देश दें कि वे वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त एक्जीक्यूटिव आफिसर, बोर्ड द्वारा संधारित रजिस्टर के अनुसार प्रविष्टि हेतु समुचित प्रमाण सहित आवेदन या सूचना देने पर विधिवत् जांच उपरान्त समुचित अभिलेखों में प्रविष्टि दर्ज कराएं।

(एच.के. बांगर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक : एफ 2-32/सात/शा. 6/2001 भोपाल, दिनांक 6.11.2001

प्रतिलिपि : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल की ओर मान. अध्यक्ष म.प्र. अल्पसंख्यक आयोग द्वारा मान. मुख्यमंत्री जी को संबोधित अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक म.प्र.रा.अ.आ./2001/478, दिनांक 4.5.2001 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया एक्जीक्यूटिव आफिसर्स को उक्तानुसार समुचित प्रमाण सहित आवेदन/सूचना देने हेतु निर्देशित करें।

(एच.के. बांगर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग